न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

रेफरेन्स संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/05/2016	28.09.2016	27.06.2019

1– मूर्ति मन्दिर श्री नरसिंग जी महाराज विराजमान कस्बा गोविन्दगढ़ जरिये तहसीलदार (भू0अ0) गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

–प्रार्थी

बनाम

1– मथुरा प्रसाद पुत्र अमरचन्द कोम ब्राहमण सा0 गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

–अप्रार्थी

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)

उपस्थित:–
01. मथुरा प्रसाद जांगिड़ –वकील अप्रार्थी

——:: निर्णय ::——

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के एसबी सिविल रिट पिटिशन नं0 3562/2019 में प्रदत्त आदेश दिनांक 08.04.2019 की अनुपालना में पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार गोविन्दगढ़ ने यह रेफरेन्स पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 400 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ की है जो साबिक रिकॉर्ड में मूर्ति मंदिर श्री नरसिंग जी महाराज विराजमान कस्बा गोविन्दगढ़ की कब्जे काश्त की आराजी रही है। चूंकि मूर्ति नाबालिग होती है। ऐसी स्थिति में नाबालिग के हितों की सुरक्षा प्रार्थी लैण्ड होल्डर को होने से मौजूदा रैफरेंस पेश करने का अधिकार है। रैफरेंस के साथ जमाबंदी हाल संवत् 2072–75, मिलान क्षैत्रफल, साबिक रिकॉर्ड रैफरेंस के साथ पेश है। आराजी खसरा नम्बर 400 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम रामबास का साबिक खसरा नम्बर 267 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा है। जिसको बन्दोबस्त् विभाग द्वारा मिलान क्षैत्रफल में खसरा नम्बर 266 कर दिया है। जो साबिक खसरा नम्बर 267 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा मंदिर श्री नरसिंग जी महाराज की कब्जे काश्त की आराजी रही है। जिस पर श्री अमरचन्द पुत्र रामचन्द पुजारी सेवा करता था और श्री मंदिर जी के भोग खर्च हेतु उक्त आराजी काम आती थी। आज भी नरसिंग जी महाराज की कब्जे काश्त की आराजी है। संवत् 2002–28 तक आराजी मुतनाजा मूर्ति मंदिर श्री नरसिंग जी महाराज के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। लेकिन संवत् 2028 में सैटलमेंट द्वारा अप्रार्थी के –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

P.T.O.

पिता श्री अमरचन्द द्वारा चालाकी से अपने नाम करा ली, जबकि अमरचन्द पुत्र रामचन्द उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं रखते है। ना ही सैंटलमेंट को निरंतर चले आ रहे इन्द्राज को परिवर्तन करने का कोई अधिकार क्षेत्र है। सैटलमेंट को पूर्व के इन्द्राज रिपिट करने चाहिए थे। यहां तक मूर्ति मंदिर का प्रश्न है उनके हितों की सुरक्षा का अधिकार प्रार्थी में निहित है। उक्त आराजी आरटीएक्ट लागू होने से पूर्व से ही मंदिर के कब्जे काश्त की आराजी रही है। साबिक खसरा नम्बर 267 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा इंतकाल संख्या 756 विरासत से अप्रार्थी के पिता अमरचन्द की विरासत हुई एवं इंतकाल संख्या 1353 दिनांक 21.11.2000 से हक त्याग द्वारा सालिम खसरा नम्बर 400 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा केवल अप्रार्थी मथुरा प्रसाद के नाम दर्ज हो गई। अप्रार्थी द्वारा मूर्ति मंदिर की आड़ में सैटलमेंट से उक्त आराजी को अपने नाम करवा लिया। जबकि उक्त आराजी से अप्रार्थी का कभी कोई संबंध नहीं रहा है। बन्दोबस्त् के द्वारा किया गया गैरकानूनी परिवर्तन काबिल दुरूस्त होता है। अतः रैफरेंस पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्बर हाल 400 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम रामबास के हाल राजस्व रिकॉर्ड में से अप्रार्थी का नाम कलमजन कर उसकी जगह मूर्ति मंदिर श्री नरसिंग जी महाराज वाके ग्राम गोविन्दगढ़ के नाम दर्ज किया जावें।

वकील अप्रार्थी द्वारा रैफरेन्स प्रकरण में अंकित बिन्दुओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 400 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम रामबास के बारे में गलत रैफरेंस पेश किया गया है। साबिक रिकॉर्ड में उक्त भूमि मूर्ति मंदिर श्री नरसिंग जी महाराज की कब्जे काश्त की आराजी नहीं रही है। साबिक रिकार्ड में जमाबंदी के खसरा नम्बर 5 में कृषक का नाम अमरचन्द माफीदार का नाम बतौर काश्त कार कब्जेदार अंकित है। जो तथ्य जमाबंदी संवत् 2010 ग्राम रामबास से साबित है। सवत् 2002–28 तक आराजी मुतनाजा मूर्ति मंदिर श्री नरसिंग जी महाराज के नाम रिकार्ड में दर्ज नहीं रही है तथा यह भी गलत अंकित किया गया है कि बन्दोबस्त् संवत् 2028 में बन्दोबस्त् विभाग से मिलकर अप्रार्थी के पिता अमरचन्द ने उक्त आराजी अपने नाम करा ली हो। यह भी गलत अंकित किया गया है उक्त आराजी आरटीएक्ट लागू होने से पूर्व मंदिर के कब्जे काश्त की आराजी रही है। बल्कि इस रैफरेंस में दर्ज आराजी अप्रार्थी के बुजुर्गान् की रही है और वर्तमान में आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी की कब्जे काश्त है। इंतकाल संख्या 1353 दिनांक 21.11.2000 हक त्याग का न होकर बयनामे का है जिसके द्वारा खसरा नम्बर 400 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा केवल अप्रार्थी मथुरा प्रसाद के नाम दर्ज हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार गोविन्दगढ़ ने बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये मनमाने तरीके से रैफरेंस पेश किया गया है क्योंकि बन्दोबस्त् संख्या 2028 द्वारा साबिक रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है बल्कि पूर्व की भाति रिपिट किया गया है। अतः रैफरेंस स्वीकार योग्य नहीं है। हाल खसरा नम्बर 400 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा ग्राम रामबास साबिक खसरा नम्बर 267 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम रामबास से बना है। आराजी –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

खसरा नम्बर 400 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा अप्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी है। जिस पर मंदिर मूर्ति का कभी कब्जा नहीं रहा। सवत् 2018–22 में साबिक खसरा नम्बर 266 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 267 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम रामबास में अमरचन्द पुत्र रामचन्द व बीरबल पुत्र रामचन्दर के नाम खातेदारी में दर्ज है। आरटीएक्त लागू होने से पूर्व खसरा नम्बर 266 बीरबल पुत्र रामचन्दर तथा खसरा नम्बर 267 पर अमरचन्द पुत्र रामचन्दर काबिज थे। इसलिए जब बन्दोबस्त् 2028 हुआ तब दोनों भाईयों के अलग–अलग कब्जे के आधार पर खसरा नम्बर 266 बीरबल पुत्र रामचन्दर के खाते में तथा खसरा नम्बर 267 अमरचन्द पुत्र रामचन्दर के खाते में बतौर खातेदार दर्ज है और इसी साबिक रिकॉर्ड को बन्दोबस्त् द्वारा संवत् 2028 में रिपिट किया गया है। साबिक रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह भी गलत अंकित किया है कि उक्त आराजी आरटीएक्ट के लागू होने से पूर्व मूर्ति मंदिर के कब्जे की आराजी रही है क्योंकि आरटीएक्ट सन् 1955 में वजूद में आया। यानि आरटीएक्ट को वजूद में आये करीब 60 साल हो गये है। जबकि जमाबन्दी सवत् 2010 के इन्द्राज जिनको करीब 62 साल हो चुके है। यानि जमाबन्दी 2010 आरटीएक्ट के वजूद में आने से पूर्व की है। जिसमें कब्जे काश्त के खाना नम्बर 5 में अमरचन्द माफीदार का नाम अंकित है और पुजारी का नाम बाबूलाल अंकित है। जिससे यह साबित होता है कि उक्त आराजी पर वास्तविक कब्जा अमरचन्द माफीदार का था। माफीदार अमरचन्द की खुदकाश्त अंकित होने के कारण यह आराजी किसी भी सुरत में मंदिर मूर्ति के नाम अंकित नहीं हो सकती है। इसी आधार पर सवत् 2010 के बाद जो जमाबन्दीयां बनी उनमें आराजी माफीदारों के नाम खातेदारी मे अंकित की गई और जमाबन्दी के खाना नम्बर 4 में मंदिर मूर्ति की जगह सरकार अंकित किया गया। इसके बाद सवत् 2028 में जमाबन्दी सवत् 2018–22 को ही रिपिट किया गया है। सवत् 2028 के बाद बदस्तूर उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के बुजुर्गान, बाद में मिन अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। अमरचन्द और बीरबल दोनों भाई थे और जागीरदारी के समय केवल बड़े भाई का अंकन होता था। परन्तु जब आरटीएक्ट आया तब साबिक आराजी खसरा नम्बर 266 पर बीरबल काबिज हो गया और खसरा नम्बर 267 पर अमरचन्द काबिज हो गया। इस तरह दोनों भाईयों के अलग–अलग कब्जे के आधार पर खातेदारी दर्ज हो गई। हाल खसरा नम्बर 400 अमरचन्द माफीदार के नाम दर्ज हो गया जो मिन अप्रार्थी के पिता थे। जबकि मृत्यु के बाद विरासत मिन अप्रार्थी व उसके भाई को प्राप्त हुई। मिन अप्रार्थी के भाई बद्रीप्रसाद व महेश चन्द ने उक्त आराजी में अपना हक त्याग कर दिया तथा एक अन्य भाई जगन प्रसाद ने उक्त आराजी में से अपना हिस्सा मिन अप्रार्थी को बय कर दिया। इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 400 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम रामबास मिन अप्रार्थी खातेदार काश्तकार हो गये। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम लालू व अन्य दिनांक 03.12.2012 में ऐसे रैफरेंस को पेश किया जाना–

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

गलत माना है जो निर्णय आरआरडी 2013 पेज 45 है। इस रूलिंग में राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के परिपत्र दिनांक 06.01.2011 का भी हवाला दिया है। जवाब रैफरेंस पेश कर निवेदन है कि रैफरेंस आधारहीन, बलहीन व सारहीन होने के कारण निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 प्रार्थी महेश चन्द पुत्र अमरचन्द जाति ब्राहमण निवासी गोविन्दगढ़ जरिये अधिवक्ता पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 400 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम रामबास सवत् 2002 में मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज है। जमाबन्दी 2002 में साबिक खसरा नम्बर 266 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा मंदिर मूर्ति श्री नरसिंग जी महाराज मंदिर वाके कस्बा गोविन्दगढ़ दस्तमाम अमरचन्द पुत्र रामचन्दर पुजारी गोविन्दगढ़ बिनावर भोग खर्च दर्ज रिकॉर्ड है। अमरचन्द पुजारी का स्वर्गवास हो चुका है। उनके मिन प्रार्थी वारिस है, इस कारण मिन प्रार्थी को उक्त मुकदमें में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। तहसीलदार गोविन्दगढ़ द्वारा जो रैफरेंस पेश किया गया है जो नाबालिग मूर्ति श्री नरसिंग जी महाराज के नाम संवत् 2000 से पूर्व व उसके पश्चात् दर्ज रिकॉर्ड रही है। जिसे सैटलमेंट द्वारा सन् 1974 में मथुरा प्रसाद नाम सहवन से दर्ज हो गया है। जबकि नाबालिग मूर्ति नरसिंग जी महाराज के नाम दर्ज इन्द्राज को तब्दील नहीं किया जा सकता। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार मूर्ति मंदिर की भूमि को किसी व्यक्ति के नाम खातेदारी में नहीं दिया जा सकता। तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा सही तथ्यों के आधार पर रैफरेंस पेश किया गया है। जिसे स्वीकार किया जाकर मथुरा प्रसाद के स्थान पर मूर्ति मंदिर श्री नरसिंग जी महाराज का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल फरमाया जावें। आराजी खसरा नम्बर 400 की भूमि को मूर्ति मंदिर श्री नरसिंग जी महाराज की मानते हुए देवस्थान विभाग, जयपुर के यहां मंदिर श्री नरसिंग जी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पंजीयन कराने का निवेदन किया गया है। मथूरा प्रसाद द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि वो काश्तकार खातेदार है व दूसरी ओर उक्त आराजी को मूर्ति मंदिर श्री नरसिंग जी महाराज के नाम दर्ज करते हुए आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि मूर्ति मंदिर श्री नरसिंग जी महाराज के नाम से ही है। जिसे अप्रार्थी मथुरा प्रसाद के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का पैतृक मंदिर है जिसमें उनका हक निहित है। जिसकी सेवा पूजा प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्य करते चले आ रहे है। इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर मुकदमें में पैरवी की इजाजत फरमायी जावें।

जवाब प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 अप्रार्थी द्वारा पेश कर निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 400 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम रामबास का विगत खसरा नम्बर अंकित नहीं किया है। इसलिए प्रा0पत्र अपूर्ण है। खसरा नम्बर 266 रकबा–

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

4 बीघा 18 बिस्वा उपरोक्त अनुवानी रैफरेंस से संबंधित नहीं है। अमरचन्द का स्वर्गवास हो चुका है और प्रार्थी अमरचन्द का पुत्र है। लेकिन प्रार्थी का यह अंकित करना गलत है कि प्रार्थी का मूर्ति मंदिर में कोई हित निहित हो इसलिए उसे पक्षकार बनाया जाना न्याय हित मे आवश्यक हो। बल्कि सही तथ्य यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 400 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा ग्राम रामबास साबिक खसरा नम्बर 267 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा से बना है जो तहसीलदार गोविन्दगढ़ द्वारा रैफरेंस गलत पेश किया गया है। उक्त भूमि साबिक रिकॉर्ड में मूर्ति मंदिर श्री नरसिंग जी महाराज गोविन्दगढ़ के कब्जे काश्त की आराजी नहीं रही बल्कि साबिक रिकॉर्ड में आराजी की जमाबंदी के खाना संख्या 5 में कृषक का नाम अमरचन्द माफीदार बतौर काश्तकार कब्जेदार अंकित है जो तथ्य जमाबंदी संवत् 2010 ग्राम रामबास से साबित है। उसी प्रकार जमाबंदी सवत् 2014 में भी खाना संख्या 5 में कृषक का नाम अमरचन्द माफीदार बतौर काश्तकार कब्जेदार अंकित है। जिससे पूर्णतया साबित हेाता है कि वास्तविक कब्जा अमरचन्द का था। माफीदार अमरचन्द की खुदकाश्त अंकित होने के कारण भूमि किसी भी सूरत में मूर्ति मंदिर के नाम नहीं हो सकती। इस आधार पर संवत् 2010 के बाद जो भी जमाबंदियां बनी उक्त आराजी माफीदारों के नाम खातेदारी में अंकित हो गई। खाना संख्या 4 में मूर्ति मंदिर की जगह कानून के मुताबिक सरकार अंकित किया गया है और उसके बाद बन्दोबस्त 2028 में बदस्तूर अमरचन्द के नाम राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है। अमरचन्द जो मिन अप्रार्थी मथुरा प्रसाद के पिता थे। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी विरासत मथुरा प्रसाद व उसके भाई बद्रीप्रसाद, जगन प्रसाद व महेशचंद को प्राप्त हुई। बद्रीप्रसाद व महेशचंद ने अपने हिस्से का हक त्याग अप्रार्थी व जगन प्रसाद के पक्ष में कर दिया। जिसका इंतकाल नं. 756 दिनांक 21.03.1990 को दर्ज होकर स्वीकार हुआ। जगन प्रसाद ने उक्त आराजी में से अपना हिस्सा मिन अप्रार्थी को बैचान कर दिया। जिसका इंतकाल संख्या 1353 दिनांक 21.11. 2000 को दर्ज हो गया। इस प्रकार उक्त आराजी का एक मात्र खातेदार काश्तकार मिन प्रार्थी हो गया। उक्त आराजी में प्रार्थी महेश चन्द का कोई हित निहित नहीं है। इसलिए पक्षकार नहीं बनाया जा सका। तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा गलत तौर पर रैफरेंस भिजवाया गया था। उपरोक्त भूमि कभी भी मूर्ति मंदिर श्री नरसिंग जी महाराज के नाम नहीं रही। बल्कि अप्रार्थी के पिता अमरचंद के नाम थी। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि सैटलमेंट विभाग द्वारा सन् 1974 में सहवन से उक्त आराजी मथुरा प्रसाद के नाम दर्ज हो गई। बल्कि अप्रार्थी मथुरा प्रसाद को उक्त भूमि अमरचंद की विरासत से प्राप्त हुई है। उक्त मंदिर की सेवा पूजा पूर्व में अप्रार्थी के पिता व उनकी मृत्यु के बाद मिन अप्रार्थी करता चला आ रहा है। उक्त संबंध में सभी भाईयों द्वारा देवस्थान विभाग अलवर में मिन अप्रार्थी को इस मंदिर का दाखिल खारिज कर दिये जाने के शपथ–पत्र पेश किये है। देवस्थान विभाग अलवर द्वारा उक्त प्रस्ताव आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर को भिजवा दिये गये है। महेशचंद द्वारा रैफरेंस से संबंधित आराजी में–

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

P.T.O.

से अपना हक त्याग किया जा चुका है इसलिए प्रार्थी का कोई हक निहित नहीं है। महेशचंद को रैफरेंस में पक्षकार नहीं बनाया जावें। अतः जवाब प्रा0पत्र आदेश 01 नियम 10 पेश कर निवेदन है कि महेशचंद का प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र आदेश 01 नियम 10 व जवाब प्रा0पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। यह सही है कि अमरचंद की विरासत का इंतकाल संख्या 756 दिनांक 21.03.1990 उनके वारिसान बद्रीप्रसाद, जगनप्रसाद, मथुरा प्रसाद व महेशचंद के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया था। लेकिन इंतकाल के पृष्ट भाग पर दिनांक 21.03.1990 को ही ग्राम पंचायत रामबास द्वारा सर्वसम्मति से सभी वारिसान के हस्ताक्षर करवाकर महेशचंद व बद्री प्रसाद को बटवारें की अलग जमीन देना बताया गया है तथा उक्त इंतकाल जगन प्रसाद व मथुरा प्रसाद के हक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। जगन प्रसाद द्वारा दिनांक 01.11.2000 को मथुरा प्रसाद को अपने हिस्से का रजिस्टर्ड बयनामा करा दिया गया। जिसका इंतकाल संख्या 1353 दिनांक 21.11.2000 मथुरा प्रसाद के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया। इस प्रकार से उक्त विवादित आराजी से महेशचंद पुत्र अमरचंद जाति ब्राहमण निवासी गोविन्दगढ का कोई विधिक अधिकार नहीं रह जाता है। जिससे उक्त प्रकरण में महेशचंद पुत्र अमरचंद का हित निहित नहीं माना जा सकता। अतः प्रा.पत्र आदेश 01 नियम 10 महेशचंद पुत्र अमरचंद जाति ब्राहमण निवासी गोविन्दगढ खारिज किया जाता है।

मूल रैफरेंस पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख अनुसार ग्राम रामबास में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 267 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 400 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा में भूमिधारी मंदिर श्री नरसिंग जी महाराज वाके कस्बा गोविन्दगढ ऐतमाम बाबूलाल पुत्र भौरे लाल पूजारी ग्राम गोविन्दगढ बिनावर भोग खर्च दर्ज है तथा कृषक विवरण में अमरचंद माफीदार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2028 में गैरकानूनी रूप से उक्त आराजी को अमरचंद पुत्र रामचंदर के नाम दर्ज किया गया है। मंदिर की आराजी को किसी भी व्यक्ति के नाम नहीं किया जा सकता। चूंकि मूर्ति नाबालिग होती है। अतः ऐसी स्थिति में नाबालिग के हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार की होती है। रैफरेंस स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर रैफरेंस स्वीकृति हेतु माननीय निबंधक महोद्य, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को अभिशंसा के साथ प्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/06/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज.)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)